PV

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/246

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128	182/24	30/5/24		10/6/24

अनवान

श्री अनिल s/o रामचन्द्र गोयल श्री सुनील s/o रामचन्द्र गोयल

निवासी नीमच (म. प्र.) निवासी नीमच (म. प्र.)

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री ओम प्रकाश धाकड़ श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

अनिल कुमार बनाम सुनील कुमार

किस्म मुकदमा -- 111-124 नम्बर 182/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/05/2024	प्रार्थना पत्र सीधे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी [illegible] वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 10/06/2024 को पेश [illegible] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
10/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण को रजि. डाक से तामील करवाई गई, परन्तु विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश आगामी दिनांक 13/06/24 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
13/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में आदेश पारित किए गए एवं तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 182/24

तारीख दायर 30/5/24

अनिल कुमार पुत्र श्री रामचन्द जाति गोयल उम्र वयस्क निवासी नीमच तहसील एंव जिला नीमच (म.प्र.)

......................प्रार्थी

बनाम

सुनील कुमार पुत्र श्री रामचन्द जाति गोयल उम्र वयस्क निवासी नीमच तहसील एंव जिला नीमच (म.प्र.)

................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 13/6/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री **ओम प्रकाश** धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 3 पर अंकित आराजी संख्या 754/572 कुल किता 1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 3 पर अंकित आराजी संख्या 754/572 कुल किता 1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** वशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (बिजौलियां भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 182/24

प्रेषिति :–

तारीख दायर 30/5/24

पेशी –

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......182......../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

अनिल कुमार पुत्र श्री रामचन्द जाति गोयल उम्र वयस्क निवासी नीमच तहसील एंव जिला नीमच (म.प्र.)

......................प्रार्थी

बनाम

सुनील कुमार पुत्र श्री रामचन्द जाति गोयल उम्र वयस्क निवासी नीमच तहसील एंव जिला नीमच (म.प्र.)

................विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम **तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 3 पर अंकित आराजी संख्या 754/572 कुल किता 1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक कास्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा